

## हार गजट असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1943 (श0) (सं0 पटना 562) पटना, वृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

## अधिसूचना 1 **जुलाई 202**1

एस0 ओ0 113 दिनांक 1 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ।-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2021 है।
  - (2) ये नियम अप्रैल,202 1 के 27वें दिन से प्रवृत्त माने जाएंगे ।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 26 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तृत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तृत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमित है। "

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)1108)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा.

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

1 ty/kb/ 2021

एस० ओ० 113, दिनांक 1 जुलाई 2021का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—9) 1108)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

## The 1st July 2021

- S.O. 113, dated 1st July 2021— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -
- **1.** (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.
- (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 27<sup>th</sup> day of April, 2021.
- **2**. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26 in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27<sup>th</sup> day of April, 2021 to the 31<sup>st</sup> day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** and the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC)."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1108)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षकए सचिवालय मुद्रणालयए बिहारए पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 562-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in